न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी :– अयूब खान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 42/2012.

वादीगण :–

1. रामाराम पुत्र श्री दीनाराम,
2. पुरखाराम पुत्र स्व0 श्री सुजाराम,
3. आसुराम पुत्र स्व0 श्री सुजाराम,

सभी जाति पटेल, निवासी– ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

व ना म

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, जोधपुर।
2. तहसीलदार, लूणी (भूमिधारी), जिला जोधपुर।

.....

दावा बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

(1) श्री अनिल राठी, अधिवक्ता वादीगण की तरफ से।

(2) राजकीय अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की तरफ से।

निर्णय

दिनांक 12/7/2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे की अनेक कृषि भूमियों के साथ ही साथ कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 297 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा (वास्तव में 47 बीघा 10 बिस्वा) वाके ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आई हुई है, जो वादीगण की पीढियों से कब्जा–काश्त व खातेदारी की भूमि है। कालान्तर में वादीगण के सह–हिस्सेदारान् यानि स्व0 चुतराराम के वारिसान् का आपस में बंटवारा होने पर खेत खसरा संख्या 297 की 1/2 हिस्से की भूमि वादी संख्या 1 रामाराम पुत्र स्व0 श्री दीनाराम व शेष 1/2 हिस्से की भूमि वादी संख्या 2 से 3 के पिता स्व0 सुजाराम पुत्र स्व0 श्री चुतराराम के बंट में आई और तब से इस पर काश्त करते आ रहे हैं। वर्तमान

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

में उक्त भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और सभी का संयुक्त रूप से कब्जा–काश्त है। वादीगण संयुक्त रूप से अपनी उक्त भूमि एवं अन्य खातेदारी की भूमियों का उपयोग–उपभोग बहैसियत खातेदार–काश्तकार करते आ रहे हैं। जितनी भूमि क्षेत्रफल में मौके पर आई हुई है व जितनी भूमि राजस्व नक्शे में बनती है, उतनी भूमि राजस्व रेकर्ड यानि जमाबंदी में दर्ज नहीं हुई है। कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 297 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा (वास्तव में 47 बीघा 10 बिस्वा) वाके ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर मौके पर पीढियों से आई हुई है और इसके चारों तरफ विभिन्न पड़ौसियों के खातेदारी की भूमियां आई हुई हैं। इस भूमि के चारों तरफ बड़ी–बड़ी पुरानी पीढियों की माठें बनी हुई हैं, जिस पर प्राकृतिक झाड़ियां इत्यादि बनी हुई हैं। पीढियों से यह जमीन जितनी भी मौके पर थी, उतनी ही आज है। इस भूमि पर किसी व्यक्ति या पड़ौसी का कोई हक, हिस्सा व अधिकार नहीं है और न ही इसकी माठें पीढियों से कभी भी ईधर–उधर हुई हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गत बंदोबस्त के दौरान बंदोबस्त अधिकारियों की भूल से इसका नाप–चौक करते वक्त जितनी भूमि मौके पर आई हुई है और जितनी भूमि राजस्व नक्शे में अंकित है, उतनी भूमि खतौनी में दर्ज नहीं हुई है। इस भूमि का जो नाप राजस्व नक्शे में अंकित है, उसका क्षेत्रफल यदि निकाला जावे यानि राजस्व नक्शे को पढा जावे तो मौके की स्थिति व राजस्व नक्शे के अनुसार उत्तरी माठ में 196 गट्टा, दक्षिण माठ में 206 गट्टा, पूर्वी माठ में 110 गट्टा व पश्चिमी माठ में 80 गट्टा क्षेत्रफल की आई हुई है। यदि इनका क्षेत्रफल निकाला जावे तो इन सबका क्षेत्रफल 47 बीघा 10 बिस्वा बनता है, परन्तु इसके अुनसार जमाबंदी में रकबा अंकित नहीं है। जो नाप मौके पर आया हुआ है, उस नाप, हदूद व क्षेत्रफल को लेकर किसी पड़ौसी का किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। भूल से, पेन मिस्टेक से अथवा अन्य कारण से 47 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 24 बीघा 10 बिस्वा अंकन हो गया और इस कारण जितनी जमीन मौके पर आई हुई है व जितनी जमीन राजस्व नक्शे के अनुसार नक्शे में अंकित है, उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड यानि खतौनी में अंकित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड यानि खतौनी में दुरूस्ती की जाकर 24 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 47 बीघा 10 बिस्वा अंकित किया जाना अति आवश्यक व न्यायसंगत है। भू–राजस्व अधिनियम व राजस्व नियमों के अनुसार जितनी भूमि नक्शे में अंकित होती है, उतनी ही भूमि उसी अनुसार खतौनी में अंकित की जानी आवश्यक है। बंदोबस्त के समय हुई इस भूल की जानकारी पूर्व में वादीगण को कभी भी नहीं हुई, परन्तु अभी हाल ही में इस भूमि पर कुआ इत्यादि खुदवाने हेतु ऋण लेने पर राजस्व नक्शे व मौके की जांच की तो पता लगा कि वास्तव में राजस्व नक्शे में जितनी भूमि अंकित है, उतनी भूमि खतौनी में अंकित नहीं है। चूंकि इस भूमि को लेकर पूर्व में काश्त व हक को लेकर किसी तरह का कोई विवाद ही नहीं था, वादीगण गरीब, अनपढ व सद्भावी काश्तकार हैं और उनके राजस्व

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

नक्शे, खतौनी या काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं था, इसलिए इस तथ्य की कोई जानकारी पूर्व में नहीं हुई कि जितनी भूमि मौके पर है, उतनी भूमि खतौनी में अंकित नहीं है। अब जब इसकी जानकारी हुई तो वादीगण ने अनेक मर्तबा राजस्व अधिकारियों के समक्ष दुरूस्ती हेतु आवेदन किए, परन्तु इसका कोई यथोचित परिणाम नहीं निकला। वादीगण ने प्रतिवादी को अपने अधिवक्ता की मार्फत नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. का दिनांक 09.01.2012 भेजकर निवेदन किया कि वे राजस्व अधिकारियों को आदेश व निर्देश देवें कि वे जितनी भूमि मौके पर आई है व जितनी भूमि राजस्व नक्शे में अंकित है, उसी अनुसार खतौनी में इसका अंकन करें, परन्तु नोटिस देने के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती इत्यादि की कोई कार्यवाही नहीं की। अंत में वादीगण ने यह प्रार्थना की कि वादीगण के खेत खसरा संख्या 297 वाके ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर का रकबा राजस्व नक्शे अनुसार जमाबंदी व अन्य राजस्व रेकर्ड में 24 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 47 बीघा 10 बिस्वा अंकन कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन के जरिये तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। तदोपरान्त राजस्व प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मौजूदा प्रकरण राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती से संबंधित होने से इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी तहसीलदार, लूणी से मौका रिपोर्ट तलब की गई और तहसीलदार (भू.अ.), लूणी के द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 26.10.2017 को पत्र क्रमांक/भू.अ./2017/2903 प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि विवेचित प्रकरण में पटवारी हल्का से तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं अद्यो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौका मुआयना किया गया, पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सर के खसरा संख्या 297 में रकबा 22.10 बीघा रामाराम के द्वारा धारित की जाती है, पटवारी रिपोर्ट में जाहिर किया है कि मौके पर पैमाईश करने पर 45.10 बीघा एवं नक्शा किश्तवार से रकबा बरारी करने पर 45.10 बीघा भूमि पाई गई है, रिपोर्ट अनुसार 45.10–22.10 = 23 बीघा का अंतर समायोजन हेतु इसी ग्राम के कुल देह में समयोजन संबंधी खुलासा नहीं किया है, इस हेतु पटवारी हल्का व निरीक्षक हल्का को सख्त हिदायत के साथ पत्र को पृष्ठांकित किया जा रहा है, रिपोर्ट प्राप्त होते ही पूरक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रकरण निस्तारणार्थ प्रेषित कर दी जाएगी। इसके पश्चात् दिनांक 22.12.2017 को तहसीलदार (भू.अ.) लूणी के द्वारा इस प्रकरण में एक और पत्र क्रमांक/भू.अ./2017/3190 दिनांक 22.12.2017 प्रेषित कर स्पष्ट किया कि मौजा सर के खसरा संख्या 297 का रकबा 22.10 बीघा भूमि रामाराम वगैरा द्वारा धारित किया जाता है, मौके पर निरीक्षक भू.अ. फींच एवं पटवारी सरेचा की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर पैमाईश करने एवं राजस्व नक्शे के अक्श अनुसार 45.10 बीघा भूमि पाई जाती है, इस प्रकार 45.10–22.10 = 23 बीघा भूमि अधिक पाई जाती है। इसके उपरान्त तहसीलदार, लूणी को अधिक भूमि के समायोजन हेतु पत्र देकर रिपोर्ट मंगवाई गई, जिस पर तहसीलदार

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

(भू.अ.), लूणी द्वारा रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2018/603 दिनांक 05.02.2018 इस आशय की प्रस्तुत की कि निरीक्षक, भू–अभिलेख, फींच एवं पटवारी, सरेचां द्वारा की गई पैमाईश एवं राजस्व नक्शे के अक्स व मौका अनुसार ग्राम सर के खसरा नं. 297 का रकबा 45.10 बीघा भूमि पाई गई, जबकि राजस्व रेकर्ड में इसका रकबा 22.10 बीघा दर्ज है, अतः इस अतिरिक्त भूमि 23 बीघा ग्राम सर के सरकारी खसरे 169, 187, 186 की भूमि को कम कर समायोजन किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.), लूणी द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं इस प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबंदी व राजस्व नक्शे अनुसार वास्तव में वादीगण की भूमि मौके की स्थिति व राजस्व नक्शे अनुसार कम दर्ज हुई है, जिसका स्पष्ट विवरण प्रतिवादी तहसीलदार (भू.अ.), लूणी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में किया गया है व साथ ही तहसीलदार, लूणी द्वारा वादीगण की उक्त भूमि के समायोजन हेतु प्रस्तावित खसरान् बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

हमने उभय पक्षों की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि मौजूदा प्रकरण स्पष्ट रूप से रेकर्ड दुरूस्ती की परिभाषा में आता है, वास्तव में पीढियों से वादीगण का उनकी सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा–काश्त है और अनपढ होने से उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाया और वे यही समझते रहे कि मौके अनुसार राजस्व रेकर्ड में भी उनकी भूमि का नाप सही दर्ज हो रखा है, वादीगण की भूमि के आस–पड़ौस में स्थित अन्य भूमियों के खातेदारों–काश्तकारों द्वारा कभी भी वादीगण की भूमि के संबंध में कोई उज्र–एतराज नहीं किया, पीढियों से वादीगण की भूमि की माठ जहां बनी हुई थी वहीं आज भी है, इस न्यायालय को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किए जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और तहसीलदार, लूणी की रिपोर्ट अनुसार भी मौके पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, राजस्व नक्शे को पढने से भी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जितनी भूमि राजस्व नक्शे व मौके पर स्थित है, भूलवश व पेन मिस्टेक से उतनी भूमि का इन्द्राज खतौनी में दर्ज नहीं हो पाया है, इसे दुरूस्त करने से किसी खातेदार/ काश्तकार को किसी प्रकार का कोई नुकसान या हानि नहीं होगी, तहसीलदार लूणी द्वारा भी समायोजित हेतु प्रस्तावित खसरान् बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत करने से स्पष्ट है कि वादीगण की भूमि का नाप सही दर्ज नहीं हुआ है, अतः इसको दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह कथन किया कि मौके की रिपोर्ट तहसीलदार, लूणी द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है और इस न्यायालय को रेकर्ड दुरूस्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वादीगण राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी नहीं हैं।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकर्ड व तहसीलदार, लूणी के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि वादीगण की भूमि जितनी मौके पर है, उतनी भूमि खतौनी में दर्ज नहीं हुई है। मौका रिपोर्ट के अनुसार एवं राजस्व नक्शे को पढने से यह भूमि मौके पर राजस्व नक्शे अनुसार 47.10 बीघा होती है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में यह भूमि 24.10 बीघा ही दर्ज है यानि वादीगण की उक्त भूमि 23 बीघा राजस्व रेकर्ड में कम दर्ज हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दौराने बंदोबस्त राजस्व अधिकारियों की भूल अथवा पेन मिस्टेक से राजस्व रेकर्ड में इसका इन्द्राज सही नहीं होकर 47.10 बीघा के स्थान पर 24.10 बीघा ही दर्ज हुआ है। इस प्रकरण में वादीगण ने अवश्य ही अपने कब्जे काश्त की भूमि को 47.10 बीघा होना बतलाया है और इसी अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती की प्रार्थना की है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व राजस्व नक्शे को पढने से वास्तव में यह भूमि 47.10 बीघा भूमि है और इतनी भूमि का ही रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वादीगण का वाद राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती के मद्देनजर रखते हुए राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को देखते हुए रेकर्ड दुरूस्ती की परिभाषा में आने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद राजस्व रेकर्ड की दुरूस्ती के मद्देनजर रखते हुए राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को देखते हुए रेकर्ड दुरूस्ती की परिभाषा में आने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, लूणी को आदेशित किया जाता है कि वे राजस्व नक्शे व मौके की स्थिति अनुसार खेत खसरा संख्या 297 वाके ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करते हुए रकबा 47 बीघा 10 बिस्वा की अन्य समायोजन हेतु योग्य खसरा संख्या 169, 186, 187 वाके ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर की भूमि कम करते हुए आवश्यक दुरूस्ती का इन्द्राज करें।

निर्णय आज दिनांक 14/3/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

14/3/2018

(अयूब खान)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

लूणी, जिला जोधपुर।

Scanned by CamScanner